

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

अर्धी: रामधन

अप्रार्थी: वजीर मोहम्मद व अन्य

स संख्या : 175 /2016

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.05.2018	<p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पेश हुई।</p> <p>अप्रार्थी संख्या 8 बावजूद कैम्प कोर्ट नोटिस तामील अनु०। अप्रार्थी संख्या 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से पैरोकार राज० ने उप० होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।</p> <p>चूंकि प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है, पक्षकारान को विधिवत् नोटिस तामील हो चुके है। अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०काश्त० अधिनियम को, आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नंबर 5440 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 5441 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक-दूसरे की कब्जा-काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (राजेंद्र कुमार, न्यायालय) उपखण्ड अधिकारी फागी</p>	

